

**(vi) Regarding setting up of District Disability Rehabilitation Centres in
Madhya Pradesh**

श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना): वर्तमान में भारत में दिव्यांगजनों की संख्या 2 प्रतिशत या 2.5 करोड़ से अधिक है और इनके विकास के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन हो रहा है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है जिसके माध्यम दिव्यांगों को चिन्हित कर उनकी विकलांगता का आंकलन किया जाता है तथा पात्र व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायक उपकरण पात्रता के अनुसार निशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं। जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र में सहायक उपकरण के इलावा शारीरिक समस्याओं के लिए फिजियोथेरेपी, मानसिक तनाव जैसी समस्याओं के लिए मानोवैज्ञानिक द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से निदान किया जाता है। मेरा लोक सभा क्षेत्र गुना एक आकांशी जिले है और मेरे क्षेत्र में निवास कर रहे दिव्यांगों के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को गुना और अशोक नगर जिले में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का निर्माण करने हेतु प्रस्ताव भेजा है जिसपर अभी भारत सरकार की स्वीकृति लंबित है। मेरा सरकार से निवेदन है की गुना और अशोकनगर जिले में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के निर्माण को तत्काल स्वीकृति दी जाए और इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रस्तावित जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों के निर्माण को स्वीकृति दी जाए।